

# कार्यालय, अंचल अधिकारी, अड़की खूँटी।

आदेश फलक

जिला:- वाद सं०:- 44 / 2020-21 सन्

विषय:- भूमि बन्दोवस्ती नियमितिकरण करने के संबंध में।

आदेश का क०सं०एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश प की गई कार्रवाई बारे में
------------------------	--------------------------------	--------------------------------

28/10/2020

जमाबंदीदार श्री/ श्रीमती दिबो खाली पिता/पति मोहन लाल खाली

मौजा अड़की थाना-अड़की, जिला खूँटी के नाम से पंजी-II पृष्ठ संख्या- 149

में दर्ज है। उक्त भूमि बन्दोवस्ती वाद सं०- 02 / 88-89 के आधार पर दर्ज है।

जमाबंदीदार सुयोग्य श्रेणी के पिढी खाली के सदस्य है एवं भूमिहीन है। कायम जमाबंदी संदिग्ध है।

## भूमि की विवरणी:-

मौजा	थाना नं०	खाता नं०	प्लॉट सं०	रकबा
<u>अड़की</u>	<u>264</u>	<u>145</u>	<u>502</u>	<u>1.80 एकड़</u>

सरकार के सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड सरकार का पत्रांक-06/भूमि का नियमितीकरण-89/2020-1704/रा० दिनांक:- 15.07.2020 में यथाविहित प्रावधानानुसार संबंधित राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक से जाँच प्रतिवेदन की मांग करें, पुनः अभिलेख दिनांक:- 07/11/2020 को उपस्थापित करें।


अंचल अधिकारी  
अड़की।

07/11/2020

अभिलेख उपस्थापित किया गया।/संबंधित राजस्व उप निरीक्षक का स्थल जाँच, भौतिक सत्यापन/ दखल-कब्जा संबंधी प्रतिवेदन अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्राप्त हुआ है तथा सरकार के सचिव, राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड सरकार का पत्रांक:-06/ भूमि नियमितिकरण- 89/2020-1704/रा० दिनांक:- 15.07.2020 में यथाविहित प्रावधानानुसार भूमि के नियमितिकरण हेतु अनुशंसा किये है।


अतः संबंधित राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के स्थल जाँच/भौतिक सत्यापनोपरान्त/दखल-कब्जा एवं अनुशंसा के आधार पर जमाबंदीदार श्री/श्रीमती दिजे स्वांसी पिता/पति मेधनाथ स्वांसी मौजा-काइकी थाना-अड़की, जिला-खूँटी के नाम से मौजा-काइकी थाना नं० 264 खाता सं० 145 प्लॉट सं० 502 रकबा-1.80 काइ लगान 1.95 रुपये अलावे शेष पर भूमि बन्दोबस्ती को नियमितिकरण की स्वीकृति दी जाती हैं

तदनुसार संबंधित राजस्व उप निरीक्षक को निदेश दिया जाता है कि पंजी-II में तदनुरूप ऑनलाईन प्रविष्टि करेंगे।

  
अंचल अधिकारी,  
अड़की।

अभिलेख उपस्थापित किया गया। संबंधित राजस्व उप निरीक्षक द्वारा मौजा-काइकी थाना नं० 264 के पंजी- II भौलुम (VOL-III) के पृष्ठ संख्या-99 पर ऑनलाईन प्रविष्टि कर आवश्यक सुधार कर लिया गया है।

अतः अभिलेख की कार्रवाई समाप्त की जाती है  
अभिलेख अभिलेखागार में जमा करें।

  
अंचल अधिकारी,  
अड़की।